



उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन प्रथम तल मोथरोवाला देहरादून 248001

फोन/फैक्स : 0135-2532619 ई-मेल—ceo_uldb@rediffmail.com वेबसाइट www.uldb.org.

पत्रांक 1915 /यू.एल.डी.बी./रिवाईज कृ०गर्भाधान शर्ते पत्रा. /2020-21/ दिनांक 15 अक्टूबर 2020

कार्यालय ज्ञाप

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 1905/यू.एल.डी.बी./रिवाईज कृ०गर्भाधान शर्ते पत्रा/2020-21/दिनांक 14 अक्टूबर 2020 के साथ प्रेषित मैत्री चयन हेतु आवेदन पत्र में टंकण नृटिवश पंजीकरण शुल्क ₹ 250.00 के स्थान ₹100.00 टंकित हो गया है। जिसको उक्त सीमा तक ₹ 250.00 संशोधित समझा जाये।

अतः ज्ञाप के साथ संशोधित मैत्री चयन आवेदन प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- मैत्री चयन आवेदन प्रारूप।

ह०/य०
(डा० एम० एस० न्याल)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

पत्रांक 1915 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को उक्तानुसार संलग्न आवेदन प्रारूप सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 3- श्री विक्रम सिंह, अध्यक्ष पैरावेट वेलफेयर संघ (उत्तराखण्ड) घमण्डपुर रानीपोखरी डोईवाला देहरादून।
- 4- अपर प्रबन्धक, अतिहिमीकृत उत्पादन केन्द्र श्यामपुर ऋषिकेश एवं अपर प्रबन्धक, यू०एल०डी०बी० सीमन बैंक लाल कुआँ नैनीताल।
- 5- निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सचिव, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/य०
(डा० एम० एस० न्याल)
मुख्य अधिशासी अधिकारी



उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन प्रथम तल, मोथरोवाला, देहरादून -248001

फोन/फैक्स : 0135-2532619 ई-मेल -ce ouldb2019@gmail.com वेबसाइट www.uldb.org.

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अन्तर्गत
मैत्री चयन हेतु आवेदन पत्र

(Multipurpose Artificial Insemination Technicians in Rural India)

बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री)

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. मूल निवास का पता- ग्राम/समिति :
5. पो.आ..... विकासखण्ड.....
6. जनपद : पिन कोड :
7. सम्पर्क हेतु दूरभाष/मोबाईल नम्बर :
8. आधार नं०
9. सामाजिक स्थिति- सामान्य/पिछड़ी जाति/अनु.जाति/अनु. जनजाति
10. आर्थिक स्थिति- एपीएल/ बीपीएल
11. शैक्षिक योग्यता :

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम फोटो

क्र.स.	शैक्षिक योग्यता	संस्था/कालेज विश्वविद्यालय का नाम	विषय	श्रेणी	प्रतिशत
1					
2					
3					
4					

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएं सत्य हैं। मैं ₹2000.00 जमानत राशि के रूप में यू.एल.डी.बी. के पक्ष में जमा कर स्वेच्छा से स्वरोजगार हेतु चार माह का गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान विषयक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ तथा बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री) के रूप में पंजीकरण करने हेतु प्रशिक्षण के उपरान्त यू.एल.डी.बी. के पक्ष में ₹250.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु एक सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करने एवं अन्य शर्तों की गारन्टी हेतु फिडैलिटी बॉन्ड/बीमा पालसी देने के लिये सहमत/तत्पर हूँ। कृपया मेरा आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी समस्त जानकारी सत्य है, किसी जानकारी के असत्य पाये जाने की दशा में बोर्ड द्वारा मेरा प्रशिक्षण/ बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री) के रूप में पंजीकरण निरस्त किये जाने पर समस्त उत्तरदायित्व मुझ स्वयं का होगा।

दिनांक :

संलग्न :

- 1-शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
- 2-मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
- 3-आधार कार्ड की छायाप्रति।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

चयन समिति की संस्तुति मोहर एवं हस्ताक्षर सहित

- 1- आवेदक गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान विषयक मैत्री प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य है, जिसे चार माह का सन्दर्भित प्रशिक्षण देने की संस्तुति की जाती है।
- 2- प्रशिक्षण उपरान्त आवेदक को (स्थान का नाम) में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करने हेतु इनपुटस वितरण की संस्तुति की जाती है क्योंकि इस स्थान के 03 किलोमीटर की दूरी तक कोई कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थान तक वाहन जाने हेतु पक्का मार्ग उपलब्ध है तथा स्थान उत्तराखण्ड राज्य में ही स्थित है और उक्त स्थल तक वाहन जाने-आने हेतु प्रदेश की सीमा पार नहीं करनी होगी।
- 3-यह कि आवेदक जिस स्थान पर बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री) केन्द्र खोलने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है वह उसी स्थान/गांव का स्थायी निवासी है।

(ग्राम प्रधान)

(पशु चिकित्साधिकारी)

(मुख्य पशुचिकित्साधिकारी)